

दिनांक 17.01.2025 को State Family Planning Indemnity Sub-committee की आहूत बैठक की कार्यवाही।

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2025 को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत State Indemnity Sub-committee (SISC) की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नवत् सदस्य उपस्थित हुए:

1. श्री सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0, कार्यपालक निदेशक, रा0स्वा0समिति, बिहार— अध्यक्ष
2. डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना— संयोजक
3. डॉ0 ए0के0 शाही, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, प0क0, रा0स्वा0समिति, बिहार— सदस्य सचिव
4. डा० अमृता राय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, पी0एम0सी0एच0, पटना— सदस्य
5. डा० रजनीश चंद्रण, सर्जरी विभाग, एन0एम0सी0एच0, पटना— सदस्य

समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा

दिनांक 17.01.2025 को कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित State Indemnity Sub-committee की बैठक में निम्नांकित जिलों के Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) अंतर्गत संबंधित जिलों के DISC के द्वारा अनुशंसित क्षतिपूर्ति दावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

(A) अनुमोदित दावा:-

S. no.	District	Name of client	Name of Husband / wife	Approval/ Denial by SISC	Remarks
1	Samastipur	Pinki Devi	Shri Mukesh Das	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
		Sita Devi	Shri Pintu Kumar Sahani	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
		Nisha Verma	Shri Amit Kumar Sinha	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
2	Kaimur	Gudiya Devi	Hanuman Yadav	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
3	Bhagalpur	Soni Devi	Shri Sonu Chaudhary	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
		Tula Devi	Shri Anil Sah	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
4	Munger	Khushboo Kumari	Shri Satyam	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
		Moni Devi	Shri Sanjay Ram	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
5	Buxar	Rekha Devi	Shri Mukesh Kumar	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund
		Geeta Kumari	Shri Dinesh Kumar Gupta	Approved	Rs. 30,000/- from NHM fund Rs. 30,000/- from GoB fund

(B) लंबित दावा:-

S. no.	District	Name of client	Name of Husband / wife	Approval/ Denial by SISC	Remarks/Required to be submits
1	Supaul	Late Rachna Kumari	Shri Mithlesh Kumar	Pending	(i) USG Report sign by Sonologist required. (ii) Sign of District Magistrate-cum-Chairman on DISC report required.
2	Bhagalpur	Punam Devi	Shri Nirmal Mandal	Pending	Provide evidentiary documents (USG findings/MTP Details/Date of Birth of child) to confirm sterilization failure.
3	Kaimur	Rani Devi	Shri Prateek Kumar	Pending	(i) Consent Form & Medical Checklist require. (ii) Sterilization Certificate required. (iii) Annexure-7 not in format. (iv) PTK report not available. (v) USG report unsigned. (vi) Actual date of operation to be clarified. (vii) in view of letter no. 417 dated 27-02-2020 issued by ACOMO inspection report shows birth at the baby after Tubal Ligation operation. (viii) रानी देवी, पति-श्री प्रतीक कुमार के सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराना संबंधित स्वास्थ्य संस्थान की जिम्मेदारी है। उक्त मामले में लाभार्थी के ऑपरेशन की तिथि विभिन्न दस्तावेजों यथा-दावा प्रपत्र में ऑपरेशन तिथि-23.01.2017, DISC कार्यवाही में ऑपरेशन तिथि-31.01.2017 एवं MOIC, PHC, Bhabhua के पत्र में ऑपरेशन तिथि-21.01.2017 में भिन्न-भिन्न तिथि अंकित किया गया है, इसकी जांच कराते हुये साक्ष्य के साथ ऑपरेशन की तिथि की पुष्टि की जाय।

- सभी दस्तावेज Annexure-8 of FPIS Manual (2016) के अनुरूप एवं पूर्ण मूल संचिका के साथ संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (ACMO)/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला सामुदायिक उत्प्रेरक (DCM)/संबंधित कर्मी व्यक्तिगत रूप से एक माह के भीतर परिवार कल्याण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में आकर सभी लंबित दावा के वांछित दस्तावेजों को समर्पित करेंगे।

वित्तीय प्रावधान के अनुरूप

- SISC द्वारा अनुमोदित सभी क्षतिपूर्ति दावे हेतु निर्धारित राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के मद संख्या RCH-6, SI.No. 47 (DBT) में राज्य स्तर पर उपबद्धित राशि से संबंधित जिलों को उपावंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के समतुल्य बिहार सरकार द्वारा भी राशि देने का निर्णय के आलोक में उपरोक्त सभी मामले में अनुमोदित दावा के अनुसार संबंधित लाभार्थी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दी जाने वाली राशि के समतुल्य राशि बिहार सरकार द्वारा भी देय है। जिसे राज्यांश मद से संबंधित जिलों को राशि वित्त कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा आवंटित की जायेगी।

अन्य निर्देश:-

- Annexure-8 of FPIS Manual, 2016 के अनुरूप सभी दस्तावेजों का मिलान एवं क्रमवार कर DISC द्वारा निर्णय लेते हुये ही SISC को अनुशंसित किया जाय।
- भागलपुर से प्राप्त तीनों विफलता के मामलों में महिला बंध्याकरण डॉ० सोने लाल राय, सर्जन के द्वारा किये गये हैं। इनका पुनः Minilap का प्रशिक्षण कराया जाय।
- लाभार्थियों/दावाकर्ता से प्राप्त USG रिपोर्ट पर Sonologist का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हो। अगर USG पर Sonologist का हस्ताक्षर नहीं हो तो संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के MOIC के द्वारा अभिप्रमाणित किया जाय। सभी दस्तावेजों का स्पष्ट रूप से छायाप्रति समर्पित किया जाय।

(डा० रजनीश चंद्रण)
सर्जरी विभाग,
एन०एम०सी०एच०, पटना
—सह—सदस्य, SISC

(डा० अमृता राय)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
पी०एम०सी०एच०, पटना
—सह—सदस्य, SISC

(डॉ० ए०के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, प०क०
—सह—सदस्य सचिव, SISC

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग
—सह—संयोजक, SISC

(सुहर्ष भगत, भा०प्र०सी०)
कार्यपालक निदेशक, SHSB —सह—
अध्यक्ष, SISC

ज्ञापांक: SHSB/PM/98/2006/P-IV..6827

पटना, दिनांक: 01/03/25

प्रतिलिपि—

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ समर्पित।
- सभी जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर निदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं राज्यांश मद (बिहार सरकार) से संबंधित जिलों को राशि हस्तांतरण हेतु प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (Quality Assurance) को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, NHM एवं राज्य लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन—सह—उपाध्यक्ष, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी ACMO—सह—सदस्य सचिव, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी DPM—सह—फैसिलिटेटर, DISC, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं नियमानुसार भुगतान हेतु प्रेषित।
- सभी DCM—सह—नोडल सलाहकार, FP एवं सलाहकार, Quality Assurance को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुहर्ष भगत, भा०प्र०सी०,
कार्यपालक निदेशक, SHSB —सह—
अध्यक्ष, SISC,